

(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)  
पीठासीन अधिकारी श्री धीरेन्द्र सिंह आ०ए०एस०

मुकदमा संख्या

30/18

दायर दिनांक

21.02.2018

निर्णय दिनांक

03.10.2019

1. श्रीराम पुत्र श्री बुल्ला जाति गूर्जर निवासी खेडी तहसील कोटकासिम जिला-अलवर राज०।

:-वादी

:-बनाम:-

1. जलेशिंह
2. राकेश पुत्रान साहमल
3. सुनीता
4. धोली
5. बलेश पुत्रीयान साहमल
6. मूर्ति पत्नी साहमल
7. रामेश्वरी पत्नी मोहन लाल
8. जसबीर पुत्र मोहन लाल
9. सुमन
10. कान्ता
11. कविता
12. सविता पुत्रीयान मोहन लाल
13. अणची
14. बरफी पुत्रीयान शिवचरन
15. लीला देवी पत्नी अमीलाल
16. आजाद
17. विजय
18. कर्मवीर पुत्रान अमीलाल
19. इन्द्रा
20. महेन्द्री
21. किरना
22. विमला पुत्रीयान अमीलाल जाति गूर्जर निवासीयान खेडी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज०।
23. गजराज
24. राजेन्द्र
25. रामवीर पुत्रान हुक्मसिंह जाति गूर्जर निवासी बैरमपुर तहसील व जिला गुड़गांवा हरि०।

उपखण्ड अधिकारी

(2)

26. राजस्थान राज्य जरिय तहसीलदार लैण्ड होल्डर कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:-असल प्रतिवादीगण

27. रतीराम

28. जयसिंह

29. रामसिंह

30. अतरसिंह पुत्रांन श्री तुल्ला

31. रोशन पुत्र हरफूल

32. सोमदत्त

33. पूरणसिंह

34. धर्मसिंह पुत्रांन लीला

35. घोटा

36. सुमन पुत्रीयान लीला जाति गूर्जर निवासी खेड़ी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:-तर0 प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजी मय हुक्मईम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित-

1. श्री कृष्ण कुमार यादव अभिभाषक वादी

वादी ने मय अभिभाषक उपस्थित होकर एक वाद तकासमा आराजी मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी हाल ख0 संख्या 337/879 रकबा 1.00 हैक्टयर वाके ग्राम खेड़ी तहसील कोटकासिम मे वादी प्रतिवादीगण 1 लगायत 25 व तर0 प्रतिवादीगण की मुश्तरफा कब्जा काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। जिस पर हम सामलात में काबिज व दाखिल होकर काश्त कर रहे है। विवादित आराजी अबट है। जिसका अभी तक किसी भी प्रकार से तकासमा नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण से विवादित आराजी का तकासमा करने को कहा तो साफ इंकार होगये ओर ऐलानिया तोर पर धमकी दी की विवादित आराजी को दीगर जगह बेचान करेंगे। यदि प्रतिवादीगण अपने मनसुबो में कामयाब होगये तो मिन वादी को अजहद हानी होगी। जमाबंदी में दर्ज चन्द्र पुत्र मोजा लावल्द विला औरत फौत हो चुका है। जिसका समस्त हिस्सा लीलाराम के वारिसान को पूर्व में ही समायोजित किया जा चुका है। इसलिए चन्द्र मृतक को वाद में पक्षकार नहीं बनाया है तथा गोपाल, बनेसिंह पुत्रांन नानगा जो की जमाबंदी में दर्ज मुर्तहन है। जिसकी पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है। जिसका हम वादी व तर0 प्रतिवादीगण के हक हिस्से से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर को वाद में बिना दो माह का कानूनी नोटिस दिये ही पक्षकार बनाया गया है। मामला अर्जेन्ट नैचर का होने के कारण धारा 80(2) जा0दी0 का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। अतः विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड वाउण्डस तकासमा कर खाता अलग कराने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी  
कोटकासिम (अलवर)

(3)

दावा दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4, 6, 15 लगायत 17 बावजूद सूचना उपरिथत नहीं। इसलिए इनके खिलाफ 14.03.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 25.06.2018 को कैम्प कोर्ट खानपुर अहीर में वाद को प्रारम्भिक डिक्री किया गया है और तहसीलदार कोटकासिम को आदेशित किया गया कि विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा कर विभाजन प्रस्ताव विभजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार कोटकासिम को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये गये।

विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और तहसीलदार कोटकासिम से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट की और कहा की मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री कर दिया जावे।

विद्वान अभिभाषक की बहस व पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात व तहसीलदार कोटकासिम से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर गौर किया गया। अधिवक्ता वादी ने विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट की है। इसलिए वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव इस कदर डिक्री किया जाता है कि आराजी ख0 नं0 337/879/2 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम खेडी तहसील कोटकासिम में सदाकौर पत्नी व श्रीराम, रत्तीराम, जयसिंह, रामसिंह, अत्तर सिंह पुत्रान व मेवा, सन्ता पुत्रीयान तुल्लाराम 27/158 हि0 रोशन पुत्र हरफुल 27/158 हि0 छोटा, सुमन पुत्रयान लीला 52/553 हि0 सोमदत्त, पुरण, धर्मसिंह पुत्रान लीला 130/553 हि0 चन्दर पुत्र भोजा 26/79 हि0 कौम गुर्जर सा0 देह खातेदार की रहेगी।

आराजी ख0 नं0 337/879/1 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम खेडी तहसील कोटकासिम में कैला, अन्ची, बरफा पुत्रीयान शिवचरण 156/553 हि0 लीला देवी पत्नी व आजाद विजय, कर्मवीर, पुत्रान व इन्द्रा, महेन्द्र, किशना, बिमला, सुमन पुत्रीयान अमीलाल स0 भा. 52/553 हि0 मूर्ति पत्नी व जलेशिंह राकेश पुत्रान व सुनिता, धोली, बलेश पुत्रीयान सहामल गुर्जर 52/553 हि0 रामेश्वरी पत्नी व जसवीर पुत्र व सुमन, कान्ता, कविता, सविता उर्फ शीला पुत्रीयान मोहनलाल 52/553 हि0 गोपाल, बनेसिंह पुत्र नानगा गुर्जर सा0 अलीपुर मुर्तहन 27/79 हि0 गजराज, राजेन्द्र, महावीर पुत्रान हुकमसिंह स0 भा. 52/553 हि0 कौम गुर्जर खातेदार की रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2019 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटकासिम (अलवर)  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटकासिम(अलवर)

(1) (पर्चा डिक्री)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री धीरेन्द्र सिंह आ०ए०एस०

मुकदमा संख्या  
30/18

दायर दिनांक  
21.02.2018

निर्णय दिनांक  
03.10.2019

1. श्रीराम पुत्र श्री बुल्ला जाति गूर्जर निवासी खेडी तहसील कोटकासिम  
जिला-अलवर राज०।

:-वादी

—:बनाम:—

1. जलेशिंह
2. राकेश पुत्रान साहमल
3. सुनीता
4. धोली
5. बलेश पुत्रीयान साहमल
6. मूर्ति पत्नी साहमल
7. रामेश्वरी पत्नी मोहन लाल
8. जसबीर पुत्र मोहन लाल
9. सुमन
10. कान्ता
11. कविता
12. सविता पुत्रीयान मोहन लाल
13. अणची
14. बरफी पुत्रीयान शिवचरन
15. लीला देवी पत्नी अमीलाल
16. आजाद
17. विजय
18. कर्मवीर पुत्रान अमीलाल
19. इन्द्रा
20. महेन्द्री
21. किरना
22. बिमला पुत्रीयान अमीलाल जाति गूर्जर निवासीयान खेडी तहसील कोटकासिम  
जिला अलवर राज०।
23. गजराज
24. राजेन्द्र
25. रामवीर पुत्रान हुक्मसिंह जाति गूर्जर निवासी बैरमपुर तहसील व जिला गुडगांवा  
हरि०।
26. राजस्थान राज्य जरिय तहसीलदार लैण्ड होल्डर कोटकासिम जिला अलवर  
राज०।

उपखण्ड अधिकारी  
कोटकासिम (अलवर)

(2)

:-असल प्रतिवादीगण

27. रतीराम
28. जयसिंह
29. रामसिंह
30. अतरसिंह पुत्रांन श्री तुल्ला
31. रोशन पुत्र हरफूल
32. सोमदत्त
33. पूरणसिंह
34. धर्मसिंह पुत्रांन लीला
35. घोटा
36. सुमन पुत्रीयान लीला जाति गूर्जर निवासी खेड़ी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:-तर0 प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजी मय हुक्मईम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपरिस्थित-


1. श्री कृष्ण कुमार यादव अभिभाषक वादी

अतः वादी का वाद मुताकि विभाजन प्रस्ताव इस कदर डिक्री किया जाता है कि आराजी ख0 नं0 337/879/2 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम खेड़ी तहसील कोटकासिम में सदाकौर पत्नी व श्रीराम, रतीराम, जयसिंह, रामसिंह, अतर सिंह पुत्रांन व मेवा, सन्ता पुत्रीयान तुल्लाराम 27/158 हि0 रोशन पुत्र हरफूल 27/158 हि0 छोटा, सुमन पुत्रयान लीला 52/553 हि0 सोमदत्त, पुरण, धर्मसिंह पुत्रांन लीला 130/553 हि0 चन्दर पुत्र भोजा 26/79 हि0 कौम गुर्जर सा0 देह खातेदार की रहेगी।

आराजी ख0 नं0 337/879/1 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम खेड़ी तहसील कोटकासिम में कैला, अन्ची, बरफा पुत्रीयान शिवचरण 156/553 हि0 लीला देवी पत्नी व आजाद विजय, कर्मवीर, पुत्रांन व इन्द्रा, महेन्द्र, किशना, बिमला, सूमन पुत्रीयान अमीलाल स0 भा. 52/553 हि0 मूर्ति पत्नी व जलेशिंह राकेश पुत्रांन व सुनिता, धोली, बलेश पुत्रीयान सहामल गुर्जर 52/553 हि0 रामेश्वरी पत्नी व जसवीर पुत्र व सुमन, कान्ता, कविता, सविता उर्फ शीला पुत्रीयान मोहनलाल 52/553 हि0 गोपाल, बनेसिंह पुत्र नानगा गुर्जर सा0 अलीपुर मुर्तहन 27/79 हि0 गजराज, राजेन्द्र, महावीर पुत्रांन हुकमसिंह स0 भा. 52/553 हि0 कौम गुर्जर खातेदार की रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2019 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया

गया।

  
धीरेन्द्र सिंह (R.AS)  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटकासिम(अलवर)